उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

संख्या-32-1129/38-6-15-04बजट(एनआरएलएम)/14

लखनऊ, दिनांक-21 सितम्बर, 2015

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

शासनादेश संख्या-28-1048/38-6-15-04बजट(एनआरएलएम)/2014, दि0-08.09.2015 द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य मद हेतु अनुदान सं0-13 में स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष केन्द्रांश एवं मैचिंग राज्यांश को सम्मिलित करते हुए रू0 34,57,50,000.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा प्रेषित संशोधित प्रस्ताव दिनांक-14-09-2015 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित केन्द्रांश रू0 25,82,92,,000.00 के स्थान पर संशोधन स्वरूप **रू0 25,93,12,500.00** पढा जाए।

3- इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश-28-1048/38-6-15-04बजट (एनआरएलएम) /2014, दि0-08.09.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

प्रभात कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-32-1129(1)/38-6-2015, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4

11-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in